न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 12/2025 **दायर दिनांकः 04.03.2025**

उनवान

1. रामगोपाल आयु 64 वर्ष पुत्र पन्नालाल जाति गाडरी निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू जिला बारां।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 27.03.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खेडली नाहरिया पटवार हल्का बमोरी तह. अटरू में आराजी खाता संख्या 48 का खसरा नं. 35/741 का रकबा 0.25 है0, खसरा नं. 38 का रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 39 का रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 40 का रकबा 0.39 है0, खसरा नं. 41 का रकबा 0.23 है0, खसरा नं. 43 का रकबा 2.06 है0, खसरा नं. 52/744 का रकबा 0.06 है0 कुल किता 7 का रकबा 3.21 हैक्टर आराजी प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है, इसी प्रकार ग्राम एवं माल खेडली नाहरिया में खाता संख्या 112 का खसरा नं. 42 का रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 44 का रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 46 का रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.23 हैक्टर आराजी प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है। दोनों खातों की नकल जमाबन्दी सम्वत 2072—2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थी का [illegible] प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा फौती नामान्तरण में वारिसान का नाम दर्ज करते समय सहवन से रामगोपाल पुत्र पन्नालाल के स्थान पर गोपाल पुत्र पन्ना अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:08 IST
Reason: SelfAttested

कर दिया है जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम रामगोपाल पुत्र पन्नालाल है जो कि उसके आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि दस्तावेजो में भी रामगोपाल पुत्र पन्नालाल नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिल गौर है। प्रार्थी राजस्व कर्मचारीगर्णो द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर अपना नाम गोपाल पुत्र पन्ना के स्थान पर रामगोपाल पुत्र पन्नालाल दर्ज करवाने का अधिकारी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र पन्ना कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार साहब को अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल खेडली नाहरिया तह. अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एवं माल खेडली नाहरिया तह. अटरू में आराजी खाता संख्या खाता संख्या 48 की कुल किता 7 का रकबा 3.21 हैक्टर व खेडली नाहरिया में खाता संख्या 112 की कुल किता 3 का रकबा 0.23 हैक्टर आराजी में प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र पन्ना के स्थान पर रामगोपाल पुत्र पन्नालाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खेडलीनाहरिया सम्वत 2072–75 खाता संख्या 48, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खेडलीनाहरिया सम्वत 2072–75 खाता संख्या 112, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:08 IST
Reason: SelfAttested

आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक डायरी बैंक ऑफ बडौदा, ग्राम पंचायत बमोरी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र जगन्नाथी बाई पत्नी नाथूलाल जाति गाडरी निवासी डडवाडा का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल खेडली नाहरिया खाता संख्या 48 का खसरा न. 35/741 का रकबा 0.25 है0, खसरा न. 38 का रकबा 0.14 है0, खसरा न. 39 का रकबा 0.08 है0, खसरा न. 40 का रकबा 0.39 है0, खसरा न. 41 का रकबा 0.23 है0, खसरा न. 43 का रकबा 2.06 है0, खसरा न. 52/744 का रकबा 0.06 है0 कुल किता 7 का रकबा 3.21 हैक्टर आराजी व ग्राम एवं माल खेडली नाहरिया में खाता संख्या 112 का खसरा न. 42 का रकबा 0.03 है0, खसरा न. 44 का रकबा 0.10 है0, खसरा न. 46 का रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.23 हैक्टर आराजी में सहखातेदार गोपाल पुत्र पन्ना के स्थान पर गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र पन्नालाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल खेडली नाहरिया खाता संख्या 48 का खसरा न. 35/741 का रकबा 0.25 है0, खसरा न. 38 का रकबा 0.14 है0, खसरा न. 39 का रकबा 0.08 है0, खसरा न. 40 का रकबा 0.39 है0, खसरा न. 41 का रकबा 0.23 है0, खसरा न. 43 का रकबा 2.06 है0, खसरा न. 52/744 का रकबा 0.06 है0 कुल किता 7 का रकबा 3.21 हैक्टर आराजी व ग्राम एवं माल खेडली नाहरिया में खाता संख्या 112 का खसरा न. 42 का रकबा 0.03 है0, खसरा न. 44 का रकबा 0.10 है0, खसरा न. 46 का रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.23 हैक्टर आराजी में सहखातेदार गोपाल पुत्र पन्ना के स्थान पर गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र पन्नालाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू व शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक शाखा अटरू को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:08 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:08 IST
Reason: SelfAttested